391

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल–ग्वालियर–मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमांक/ नि/ग –1293– II –16 सन्–2016

1. श्रीमती गिरजा देवी पत्नी स्व. श्री रघुनाथ सिंह,
2. दशराज सिंह तनय स्व. श्री रघुनाथ सिंह,
3. कोमल सिंह तनय स्व. श्री रघुनाथ सिंह,
4. बलवान सिंह तनय स्व. श्री रघुनाथ सिंह,
5. जाहर सिंह तनय स्व. श्री रघुनाथ सिंह,

समस्त निवासीगण ग्राम–ढ़ड़ारी,
तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गनेश प्रसाद दीक्षित तनय श्री काशीप्रसाद दीक्षित,
निवासी ग्राम–ललौनी, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
2. शासन–मध्यप्रदेश ....प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 22-4-16 को प्रस्तुत
22-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.–1959 निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय–छतरपुर के प्र.क्र.–70/अपील/अ–6/ 2014–15, गनेश प्रसाद दीक्षित बनाम श्रीमती गिरजा देवी में पारित आदेश दिनांक–31.03.2016 से दुःखी होकर।

मुकेश भार्गव
2441/1594/06 एड
ग्वालियर

महोदय,

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :–

1. यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक–01–गनेश प्रसाद दीक्षित ने निगरानीकर्तागण के विरूद्ध भूमि खसरा नंबर–2660, रकवा–0.380 हेक्टेयर, स्थित मौज–बगौता की नामांतरण पंजी क्रमांक–717, वर्ष–2009–2010 में तहसीलदार–छतरपुर के आदेश दिनांक–09.07.2010 एवं तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक–31/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–12.03.2014 के विरूद्ध संहिता की धारा–44(1) के तहत् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिसकी आगामी पेशी दिनांक–18.05.2016 नियत है, जो कि सुविधा का दृष्टि से श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय–छतरपुर को आगे योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा।

2. यह कि निगरानीकर्तागण ने उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में दिनांक–22.01.2016 को एक अतिरिक्त आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया, कि प्रथम दृष्टया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1293-दो/2016 जिला छतरपुर गिरिजा विरूद्ध गनेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक के प्रकरण क्रमांक 70/अपील/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

31-01-19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य